



2026:AHC:50475-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2025 की 19430

भारत संघ एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

संतोष कुमार शर्मा एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: एस.पी. सिंह एवं विवेक कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: कलेंद्र प्रसाद, धर्मेन्द्र कुमार

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ द्वारा 'मूल आवेदन' संख्या 189/2008 से संबंधित अवमानना याचिका संख्या 56/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 के विरुद्ध दायर की गई है। न्यायाधिकरण ने उक्त आदेश में निर्देशित किया था कि यदि उस तिथि तक दिए गए निर्देशों और मूल आवेदन में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो सक्षम प्राधिकारी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होंगे। अगली तिथि 06.01.2026 निर्धारित की गई थी।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इंगित किया कि जब 06.01.2026 को न्यायाधिकरण के समक्ष मामला आया, तो वर्तमान याचिकाकर्ताओं (सरकार/विभाग) की ओर से यह दलील दी गई कि प्रतिवादियों की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार की औपचारिकता पूरी कर ली गई है और 19.01.2026 तथा 20.01.2026 को होने वाली अगली 'चयन समिति' की बैठक में उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। इसके आधार पर, अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए याचिका को 26.02.2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. 26.02.2026 को, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुरोध पर, मामले को 25.03.2026 के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया ताकि अधिवक्ता बैठक के कार्यवृत्त रिकॉर्ड पर ला सकें।
4. यह प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश दिनांक 26.11.2025 को न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर ही पिछली कुछ तिथियों से लागू नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका **निष्प्रभावी** हो गई है।
5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि न्यायाधिकरण द्वारा 26.02.2026 को पारित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई याचिकाकर्ताओं द्वारा की जाएगी और यदि याचिकाकर्ताओं को कोई नया वाद-कारण प्राप्त होता है, तो उन्हें कानून के अनुसार सहारा लेने की अनुमति दी जाए।
6. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, बाद की घटनाओं के कारण वर्तमान रिट याचिका को **निष्प्रभावी** होने के आधार पर **खारिज** किया जाता है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी जाती है कि यदि कोई नया वाद-कारण उत्पन्न होता है, तो वे कानून के अनुसार उचित कानूनी कदम उठा सकते हैं।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

12 मार्च, 2026

ए. एच. ए. / ज्योत्सना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।